उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-296/2016/1751/38-1-2016-3514/2016

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित-2013) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग में श्री राम किशन, अपर जिला सहकारी अधिकारी को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे- रू0 5400) के पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए तात्कालिक प्रभाव से जनपद-मेरठ में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त नव प्रोन्नत खण्ड विकास अधिकारी की परिवीक्षा अविध 02 वर्ष की होगी, जिसे नियमानुसार आगे बढाया जा सकता है।

3- श्री राम किशन विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ से विधिवत् कार्यमुक्त होकर कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ में एक सप्ताह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा श्री राम किशन को उनकी तैनाती के जनपद में कार्य-भार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा।

4- श्री राम किशन आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित तैनाती के जनपद मे जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व उन्हें विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे एवं तदोपरान्त उन्हें विभिन्न विकास खण्डों में रिक्त पदों के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनात करेंगे।

5- श्री राम किशन का वेतन उन्हें आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ से विधिवत् कार्यमुक्त होने के उपरान्त प्रस्तुत की गयी योगदान आख्या की तिथि से अनुमन्य होगा, जो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती के जनपद मे रिक्त विकास खण्ड के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

एन0 के0 सिंह

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-296/2016/1751(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) संयुक्त सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-140/03/पी/एस-7/2016-17, दिनांक 03.08.2016 के संदर्भ में।

(4) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

उमा कान्त पाठक

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।